

आदरणीय प्रधान मंत्री जी

एक जुलाई से देश में GST लागू होने जा रहा है। सरकार उत्साहित है पर कारोबारी वर्ग भयभीत है। भारत में अभी भी कारोबारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि पेचीदा कानूनों को ठीक से पढ़ सके। यही कारण है की आज भी कारोबारियों को पग पग पर वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। भारत की 60% जनता, जो गांव देहात में रहती है, के उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति स्थानिए छोटा और माध्यम कारोबारी करता है। न तो वह पर बिजली है और नहीं है इंटरनेट, कैसे वह E Way बिल बनाएगा और कैसे विवरणी दाखिल करेगा? इनके अतिरिक्त GST कानून में बहुत सी विसंगतियां हैं, जिनका निदान होना अति आवश्यक है।

GST के किसी भी कानून के पालन में यदि छोटे व्यापारियों से कोई गलती हो जाती है तो, सीधा कोई दंडात्मक कार्यवाही न करके, स्थानीय व्यापार मंडल के माध्यम से उक्त व्यापारी को गलती सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी व्यवसायिक परिसर में GST अधिकारी स्थानीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को अपने साथ लेकर जाय।

GST लागू होने पर कार्यशील पूंजी के आवश्यकता लगभग 25-30 प्रतिशत बाद जाएगी और बड़े हुए ब्याज के कारण व्यवसाय का लाभ, नुकसान में परिवर्तित होने का भय है। अतः बैंको को निर्देशित किया जाए के व्यापारियों की कार्यशील पूंजी में 25% वृद्धि की जाए और वह ब्याज मुक्त हो क्योंकि सरकार वस्तुओं के उपभोग से पहले ही GST वसूल कर चुकी होती है।

GST के वर्तमान स्वरूप में लघु उद्यमी के समाप्त हो जाने का भय है। अभी तक वह 1.50 करोड़ रूपए की छूट पता था और अपना माल प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों में बेचता था। अब यह प्रतिस्पर्धा ही समाप्त हो जाएगी क्योंकि अब कोई छूट उल्लब्ध नहीं है।

छोटे व्यापारियों को composition स्कीम में भी गैर पंजीकृत व्यापारियों से माल खरीदने पर Reverse पद्धति में भी टैक्स देना पड़ेगा जो उस पर एक अतिरिक्त वित्तिय बोझ है।

माननीय प्रधान मंत्री जी जिस देश की प्रजा राजाज्ञा से भयभीत हो तो शासन का कर्तव्य है कि जनता की सभी शंकाओं का निवारण उचित प्रकार किया जाए। जिस प्रकार नोट बंदी के पश्चात् अर्थव्यवस्था में 2% के गिरावट दर्ज हुई उसी प्रकार GST लागू होने पर अर्थव्यवस्था में गिरावट स्वाभाविक है। देश की सीमाओं पर अशांति है, देश के भीतर किसान भी अशांत हैं ऐसे में यदि GST लागू होने के कारण कारोबार में या अर्थव्यवस्था में गिरावट आई तो देश पर गंभीर आर्थिक संकट आ सकता है। यद्यपि कुछ व्यापारी नेता अपने रजनीतिक स्वार्थ के चलते ऊपर से GST का समर्थन तो कर रहे हैं पर अंदर से वह स्वयं भी भयभीत हैं।

यह सत्य है कि विश्व बिरादरी भारत सरकार पर कर सुधार हेतु एक दबाव सा बना रही है और विदेशी निवेश भी कर सुधार की अभाव में लंबित है ,पर यह भी सत्य है कि अपना देशी कारोबारी इतना सक्षम हो चला है कि वह अपने अकेले दम पर अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके ,युवाओं को रोजगार दे सके तथा भारत को विकास शील से विकसित राष्ट्र बना सके | आज भारत का उद्यमी विदेशों में अपना परचम लहराहा है ,ऐसे में हमे विदेशी निवेश पर निर्भरता कि आवश्यकता नहीं है |

GST कौंसिल के अभी तक बैठके चल रही है , करो की दरों में रोज बदलाव लाये जा रहे है , e-forms अभी आने बाकी है , अभी तक भी 100 % कारोबारियों का पंजीकरण भी पूरा नहीं हो पाया है | GST का सॉफ्टवेयर शायद अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं है | जब सरकार ही पूरी तरह से तैयार नहीं है तो आधे अधूरे कर ढांचे को कारोबारियों को क्यों थोपा जा रहा है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि कानून निर्माताओं ने GST कानून बनाते वक़्त यह धारणा मन में बैठा रखी थी की भारत का व्यापारी चोर है अतः इतना सख्त और पेचीदा कानून बनाया कि व्यापारी उसी में उलझ कर रह गया | सरकारी अधिकारी साल में सिर्फ 200 दिन काम करके 365 दिनों का वेतन पता है जबकि व्यापारी साल में 365 दिन काम करता है और उसे कुछ लाभ होगा ,इस बात के कोई गारंटी नहीं है | GST कानूनों का पालन करने में उसे अतिरिक्त समय निकलना पड़ेगा यह सुनिश्चित है |

प्रधान मंत्री जी आपसे अनुरोध है के GST लागू करने की अपने निर्यण पर पुनः विचार करे और GST को 2019 के लोकसभा चुनाव तक स्थागित किया जाये और लोक सभा चुनाव के साथ साथ ही GST पर जनमत करा लिया जाये और तदानुसार निर्णय लिया जाये |

सादर



वी के बंसल

राष्ट्रीय अध्यक्ष

दिनांक : 14 जून 2017

सेवा में

माननीय प्रधान मंत्री जी

भारत सरकार

नई दिल्ली